नवरात्र से पहले जर्जर मार्ग से श्रद्धालु परेशान

मरम्मत की मांग, गिरवां चौराहा से मंदिर तक मार्ग में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे, नवरात्र में श्रद्धालुओं को उठानी पड़ेगी परेशानी

संवाद न्यूज एजेंसी

गिरवां (बांदा)। विंध्यवासिनी मंदिर में आगामी 19 मार्च से चैत्र नवरात्र महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर परिसर में रंगाई-पुताई का कार्य अंतिम चरण में है। शासनिक, स्थानीय लोग जिला चौराहा से मंदिर तक के जर्जर मार्ग को लेकर चिंतित हैं।

इस मार्ग की खराब हालत से नवरात्र में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ेगी। चैत्र नवरात्र में यहां बुंदेलखंड का सबसे विशाल मेला लगता है। एन-टाइम से लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मार्ग पीछे काफी समय से जर्जर है। हिन्दुस्तान अखबारलेड चाइनी के संचालन में यहां महाकुंभ हो चुका है। प्रशासन से कई बार मरम्मत की मांग की गई, पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता।

स्थानीय निवासी विनोद तिवारी, विश्वनाथ अग्निहोत्री, देवीदयाल, महेश और कुलदीप ने मार्ग की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गिरवां चौराहा से देवी मंदिर तक पूरा मार्ग खुदा है। यहां गिरवां चौराहा से बड़े-बड़े गड्ढों के कारण निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की है।

गिरवां चौराहा से देवी मंदिर की ओर जाने वाला जर्जर मार्ग। संवाद

14 को राष्ट्रीय लोक अदालत, जागरूकता वाहन रवाना

चित्रकूट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इस अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता की व्यवस्था परिसर में निकाले गए प्रचार वाहन ने लोगों को जागरूक किया।

जनपद न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, सोमवीर ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ पीठासीन अधिकारी मोहर दुर्गेश दास, न्या. ना. कि. क. न. प. दु. मा. क. र. म. वि. त्रिवेदी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एकेश कुमार यादव और द्वितीय न्यायाधीश एमएसीटी/मोटर अधिकरी लोक अदालत सम्पादित पंकज मौर्य रहे।

यह जागरूकता रैली अदालत बैंक चित्रकूट के सभागार में निकली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इला चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन के माध्यम से न्यायालय के समक्ष न आए वादियों के मामले भी सुने जाएंगे। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को फीस वापस की जाएगी। (संवाद)

लोक अदालत में निपटाए गए वादों में लगी कोर्ट फीस वापस होगी

मेरी आवाज सुनो...

जर्जर सड़क व टूटी नाली से होती परेशानी

जटाशंकर मंदिर के जाहीरा गांव में जर्जर सड़क व कई जगहों पर टूटी नालियों से ग्रामीण परेशान हैं। इसके साथ ही रिंगरोड स्टेशन की ओर जाने वाले नालियों को भी निकाला उठाये पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त है। कई-कई बड़ते होने से आसपास में निकाला उठाये पड़ती है। यहां नालियां टूटने से गंदा पानी सड़कों पर आता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क व नालियों को व्यवस्थित कराने की मांग की है।

-रामप्रकाश प्रजापति, हीरालाल, भारत कुमार, अनुपम व अन्य।

नोट: आप भी अपने गांव-मोहल्ले की समस्याओं को नीचे दी गई ई-मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर साझा करें। हम इसे प्रकाशित करेंगे।

मेल आईडी: knp-dainikbhaskar@knp.amarujala.com

व्हाट्सएप नंबर: 8954886438

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ई- नीलामी बिक्री सूचना

(भारत सरकार का उपक्रम) द्वारिका प्लॉट नं0-4, सेक्टर-10, द्वारिका, नई दिल्ली-110075, एआरएमबी, प्रयागराज, प्रथम तल, यूनाइटेड टावर, लीडर रोड, प्रयागराज-211001, ईमेल:cs8299@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं/या नियम 9 (1) के प्रावधानों के साथ पठित के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधरण को एवं विशेष रुप से ऋणकर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास बंधक/प्रभारित नीचे बताई गई अचल अचल सम्पत्ति, जिसका बैंक/सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा लिया जा चुका है, को सम्बन्धित ऋणकर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) से देय, देय सॅक्योर्ड क्रेडिटर्स को वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में बताही गई तिथि को **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है"** के आधार पर बिक्री किया जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) सम्बन्धित सम्पत्तियों के एवम में नीचे दी गई तालिका के अनुसार जमा किया जाएगा।

प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण

क्रो0 सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी/ जमानतकर्ता के खाते का नाम एवं पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामियों का नाम (सम्पत्तियों) के बंधककर्ता	(अ) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / (ब) बकाया राशि 28.02.2026 तक / (स) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत कब्जा तिथि / (द) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/रचनात्मक	(अ) आरक्षित मूल्य / (ब) ईएमडी / (स) बिड वृद्धि राशि	ई- नीलामी तिथि/ समय	सुरक्षित लेन्दारों को ज्ञात ऋणभार का विवरण
1.	शाखा- एआरएमबी (829900) श्री सुशील कुमार पांडे प्रोप:- श्री सुशील कुमार पांडे पुत्र श्री महेश प्रसाद पांडे पता- मुहल्ला सुआमासुरी, बिसन्दा रोड, अतर्रा, जिला- बांदा, 30910-210201 जमानतकर्ता:- श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सुशील कुमार पांडे पता- मुहल्ला- सुआमासुरी, बिसन्दा रोड, अतर्रा, जिला- बांदा,30910-210201	आईपी पैमाइसी क्षेत्रफल 0.0139 हेक्टेयर ओल्ड गाटा संख्या-617 वा, बिसन्दा रोड, नगर पालिका, अतर्रा, जिला-बांदा में स्थित है तथा यह संपत्ति पुस्तक संख्या 1, खंड 2042, पृष्ठ संख्या 217, हमांक संख्या 3329 के द्वारा पंजीकृत है स्वामी: श्री सुशील कुमार पांडे पुत्र श्री महेश प्रसाद पांडे **इन्डाईसी के अनुसार चौहद्दी:- पूरब:** महेश पांडे की भूमि, **पश्चिम:** श्रीमती मीरा का शेष प्लॉट, **उत्तर:** कमला देवी का प्लॉट, **दक्षिण-** 10 फीट रास्ता	(अ) 06.02.2019 / (ब) रु. 53,95,831.93 + दिनांक 01.03.2026 से प्रभावी अग्रिम ब्याज + अन्य प्रभार (-) वसूली। / (स) 17.02.2021 / (द) प्रतीकात्मक कब्जा	(अ) रु. 16,62,000.00 / (ब) रु. 1,66,200.00 (27.03.2026) / (स) रु. 25,000.00	27.03.2026 को प्रातः 11.00 से सायं 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें:-

(1)- बिक्री मुख्य नियम (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 और आगे की नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। **(2)-** सम्पत्तियों को **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है"** और **"जो भी वहाँ है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। **(3)-** उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए बता गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। **(4)-** बिक्री के लिए **दिनांक 27.03.2026 को सुबह 11.00 बजे से सांय 04:00 बजे** के मध्य वेबसाइट **https://baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गये ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। **(5)-** बिक्री की विस्तृत नियम तथा शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** की देखें तथा हमारे सचिव सेक्योरर्ड मैनेजरी एसोसिएशन ब्र०लि० ईएसोस.नं. +918291220220, email ID: support.baanknet@baanknet.com पर संपर्क करें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 (1) के तहत सांकेतिक बिक्री सूचना

दिनांक: 13.03.2026 स्थान: प्रयागराज — प्रतिभूति क्रेडिटर्स, पंजाब नैशनल बैंक

ट्रक ने कार को मारी टक्कर, प्रधान चुटहिल

बिंदकी। घोघ-कल्लेपुर मार्ग पर सोमवार सुबह के समय ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसमें बिंदकी ग्राम प्रधान राजकिशोर की कार क्षतिग्रस्त हो गई और उनके सम्बन्धी घायल हुए। प्रधान राजकिशोर ने बताया कि वे अपनी कार से बिंदकी जा रहे थे। सोमवी मुहाने के समय सिंदकी की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। (संवाद)

अचानक युवक का अकड़ा शरीर, उपचार के दौरान मौत

संवाद न्यूज एजेंसी

बांदा। मेडिकल कालेज में देर रात एक युवक की भर्ती कराया गया। जिसकी पूरा सरीर अकड़ चुका था। डाक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया लेकिन कोई लाभ नहीं हो सुका नहीं हुआ। देर रात उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई।

मृतकका की देर रात हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र के मुरलाही गांव निवासी 36 वर्षीय सुखराम का शरीर अचानक अकड़ने लगा। परिजनों ने पहले तो लक्षणों को समझने का प्रयास करवाया पर जल्दबाजी में जिले के हमीरपुर मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों ने युवक का उपचार शुरू किया। युवक को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उनके परिवार में पत्नी व दो बच्चे हैं। मृतक के भाई ने बताया कि वे मुंबई में रहते हैं। उन्हें सूचना दी गई है। मृतक के भाई के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है।

परिजनों ने लगाई युवक को जहर खिलाकर मारने की आशंका

युवक बिन्दु, लेकिन देर रात तक उसकी मौदहा में कोई लाभ होता नहीं आया।

इसके बाद रात में ही उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि वे मौदहा भाई मजदूर ने बताया कि सुखराम मोबाइल को ही मुंबई से घर आया था। उन्होंने आशंका जताई है कि किसी ने जहर खिलाकर मारा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मजदूर ने बताया कि दिवंगत तीन भाई थे और दो भाई मजदूरी करने में रहते हैं। पत्नी आंगनवाड़ी में हमीरपुर पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है।

घर के बाहर खेलते समय सात वर्षीय बालक लापता

बांदा। कालिंजर थाना क्षेत्र के नटा गांव से सात वर्षीय बालक संदिग्ध हालात में लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बालक के बाद परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है।

नटा गांव निवासी राजेश आहार ने थाने में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 11 मार्च की सुबह करीब सात बजे उनका सात वर्षीय पुत्र मैदान पर के बाहर खेल रहा था। उस समय उसकी मां घर के अंदर काम कर रही थी। खेलते-खेलते अचानक वह कहीं चला गया और काफी देर तक वह वापस नहीं लौटा। जब काफी का पता नहीं चला तो मां ने आसपास और पड़ोस में उसकी तलाश शुरू की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

काफी तलाश के बाद भी नहीं चला पता, पिता ने थाने में दी सूचना

बाद में फोन कर पिता को घटना की सूचना दी गई। पिता के घर पहुंचने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास के इलाके में काफी खोजबीन की लेकिन बालक का कोई पता नहीं चल सका। उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार सोनी ने बताया कि पिता की तहरीर पर कालिंजर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर प्रारंभिक दर्ज कर थाने की खोजबीन शुरू कर दी है। (संवाद)

निर्माण कार्य में अनियमितता, डीएम से शिकायत

पैलानी। आलनी गांव के ग्रामीणों ने मुनाफा को निलम्बितकरी को शिकायती पत्र भेजकर उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया।

ग्राम प्रधान भूपेंद्र सिंह, गोविंद, अनिल, जगदम्बा, भोंटू, गोपी बोधन, रामजानकी सहित अन्य ने बताया कि प्राथमिकता किरण सुमना ने विद्यालय के अध्यापकों मुकुल सिंह व मनोज तिवारी को भवन निर्माण का ठेकेदार एवं निर्माण कराया करवाया है। वहीं मोटा-मोटे ने इसका संज्ञान लिया नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय के अध्यापक ठेकेदार कैसे हो सकते हैं। ग्रामीणों ने मामले की जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। (संवाद)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम, जनपद-चित्रकूट

पत्र संख्या: 3566 /2025-26 — दिनांक- 12- मार्च, 2026

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचना सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम द्वारा पहले निकाली नीलामी संख्या 05 दुकानों में से 02 दुकान अनामित नगर पार्क सेल 03 अनामित दुकानों को किराये पर उठाने जाने हेतु नॉन टेक्नोलॉजिकल प्रोसिजर (पाट्टा) की खुली नीलामी हेतु खोली कराई जाती है। उक्त नीलामी खोली के इच्छुक व्यक्ति जो उक्त दुकानों को किराये पर आवंटन चाहते हो वो व्यक्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम में दिनांक 12 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026 तक आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रु0 2000.00 व अग्रिम दुकान का रु0 500.00 नगद जमा का शुल्क का दिनांक 25 मार्च 2026 तक धनराशि सहित आवेदन पत्र जमा कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किन विशेषण के अनुसार तकनीकी समकक्षा में नियत तिथि व समय पर उपस्थित होकर जमाकर्ता धनराशि जमा कर खोली में शामिल कर सकते है।

क्र0 सं0	दुकान का विवरण	नॉनटेक्नोलॉजिकल प्रोसिजर शुल्क	जमानत धनराशि	निर्धारित मासिक किराया	नीलामी प्रीमियम (पगड़ी) की न्यूनतम विज्ञानीय/बोली धनराशि	नीलामी की तिथि व समय
1	दुकान क्रं- 2 व 3	2000.00 (प्रति फार्म)	50000.00 (प्रति दुकान)	2500.00 (प्रति दुकान)	1350000.00	27 मार्च 2026 समय अपरान्ह 21 बजे
2	आवंटित दुकान (दुकान क्रं0-4)	1000.00 (प्रति फार्म)	30000.00 (प्रति दुकान)	2300.00 (प्रति दुकान)	1150000.00	
3	दुकान क्रं- 3	2000.00 (प्रति फार्म)	50000.00 (प्रति दुकान)	1600.00 (प्रति दुकान)	720000.00	
4	आवंटित दुकान (दुकान क्रं0-1)	1000.00 (प्रति फार्म)	25000.00 (प्रति दुकान)	2500.00 (प्रति दुकान)	1150000.00	

नीलामी शर्तें:-

1- आवेदन का अनुमोदन निर्गत जमाबंदोत 5/8 खाता के सहत लागू किया जायेगा।
2- खोलीदाता को आवंटन होने पंजीकरण अनिवार्य होगा।
3- पंजीकरण / लाइसेंस फार्म शुल्क वापस नहीं की जायेगी। जमाना धनराशि के रूप में जमा धनराशि दिनांक 25 मार्च 2026 तक पालिका कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4- दुकान किराये की अवधि 24 वर्ष 11 माह होगी (प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त किराये का 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी)।
5- नीलामी प्रीमियम (पगड़ी) का होगी, जो नॉन-टेक्नोलॉजिक होगी अर्थात वापस नहीं होगी।
6- पालिका के किसी भी कर्मचारी, विधायकगणों अथवा कोई के किसी सदस्य को खोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
7- आवंटित दुकान का निर्धारित किराया प्रत्येक माह की 07 तारीख तक पालिका में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में 03 माह तक किराया जमा न करने पर किराएदारी भंग/समाप्त की जायेगी तथा किराया की अधिकता होगा के तहत प्रीमियम (पगड़ी) जमा करके दुकान खाली करा लें।
8- विद्युत बिल, जल संयोजन, जलकर व अन्य सामानेतर ऐसे किराएदार स्वयं वहन करेंगे। यदि दुकान किसी कारणवश क्षतिग्रस्त होती है तो उसके निर्माण एवं मरम्मत का भार आवंटी स्वयं वहन करेंगे। वैसेन अवाप्त की स्थिति में किराये पे उपजा की हानि होने पर पालिका उत्तरदायी नहीं होगी।
9- दुकान आवंटन के समय आवंटन फार्म पर उल्लेखित व्यवसाय (जिस व्यवसाय के लिये लिया जाये) वही व्यवसाय किया जायेगा व्यवसाय परिवर्तन की अनुमति पालिका से लेना अनिवार्य होगा।
10- दुकान के आवंटित किसी भूखण्ड / शाले पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा तथा यदि पालिका की अनुमति दुकान में कोई रद्दो बदल नहीं किया जायेगा।
11- किराएदार के अतिरिक्त किसी अन्य किसी किराएदार या व्यवसाय में साझेदारी होने या पूर्व किराएदार के अतिरिक्त किसी को किराएदारी का अधिकार नहीं होगा और न ही इस तरह के किसी व्यक्ति को दुकान हस्तान्तरित की जायेगी।
12- किराएदार की किसी प्रकार के ऐसे संचालन करने का अधिकार न होगा जिससे नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम के अधिकार प्रभावित हो।
13- यदि दुकानों से किसी किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो निकटतम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कोई प्रीमियम परिवर्तन उत्तराधिकारी को दुकान आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
14- किराएदार की रजिस्ट्रार विवाहकर्ता उपनिबन्धक कार्यालय द्वारा निर्धारित मूल्य के माध्यम पर कराना अनिवार्य होगा।
15- आवेदक द्वारा खोली के समय जमा जमानत धनराशि प्रीमियम (पगड़ी) दुकान आवंटन होने पर जमा जमानत की धनराशि को प्रीमियम (पगड़ी) में समायोजित की जायेगी। प्रीमियम धनराशि किसी भी दशा में वापिस नहीं होगी तथा प्रीमियम की राशि समाप्ती खोली में कम आने पर समेकन नहीं की जायेगी।
16- नीलामी खोली समाप्त होने पर आवंटी को प्रीमियम (पगड़ी) धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल / उपरोक्त एवं आवंटन धनराशि 20 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा निरस्त की अधिकार होगा कि जमाना राशि जब्त करके पुनः नीलामी की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17- दुकान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायालय का सभी दुकानदार से समझ करने का अधिकार निकाय को होगा।
18- नीलामी खोली हेतु एक प्रतिशत तक ही दुकान के लिये अनुमन्य होगा। एक से अधिक दुकानों पर प्रतिभाग नहीं किया जा सकता है।
19- आवंटी का उपरोक्त होने पर प्रीमियम (पगड़ी) धनराशि जमा करने हेतु आवेदन पिराना का दिया जायेगा।
20- जमाना जमा करने वाले की मध्य उपस्थित होकर खोली खोली होगी। अनुपस्थित प्रतिनिधि की खोली खोलने का अधिकार नहीं होगा।
21- दुकानों की नीलामी खोली/सोहाद का निर्धारण (दुकान संख्या 1 से 05 तक) रिजर्वेशन की ओर से पेड़ाद्वारा द्वारा कालीन बोलबुद्ध की दाम से मान्य जायेगा।
22- जिस दुकान जमा हेतु पालिका में रजिस्टार कराना चाहिए उसी जमा की दुकान की नीलामी खोली में प्रतिभाग का नहीं। अन्य दुकानों की नीलामी खोली में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
23- नीलामी खोली में पत्र अवलोकन की प्रतिभाग किये जाने हेतु अनुमान होगा अपने साथ 1मा लाईसेंस / पहचानपत्र का प्रवेश मान्य नहीं होगा। प्रवेश हेतु पंजीकरण शुल्क एवं जमाना धनराशि की जानकी रसीद अनिवार्य होगा।
24- किसी भी विवाद की स्थिति में अधिकारी अधिवक्ता / जनपद, नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम का निर्णय अंतिम होगा।
25- पालिका में उक्त स्थान पर जनहित में किसी कार्य हेतु निकाय को भूमि की आवश्यकता होती है तो भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। नीलामी का खोली एक माह बाद की होगा, लेकिन 20 मार्च से पहले यदि अधिकारी किया जाय है तो सूचनाद्वारा (अखबार) का माध्यम करने हुए किसी हुई धनराशि समायोजित की जायेगी।
26- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र चित्रकूट ही होगा।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम — अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम

झारखण्ड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का अलीगढ़ स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव

रेल प्रशासन द्वारा अपने यात्रीगण रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यही निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (12372) हरिद्वार-धनबाद मिशन (2) हरिद्वार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (12371) का अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया है। विस्तार विवरण निम्नवत है:-

गाड़ी संख्या एवं गाड़ी का नाम	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	ठहराव के प्रस्ताव: प्रायोगिक स्टेशन के	प्रायोगिक स्टेशन पर ठहराव
12372 हरिद्वार-धनबाद मिशन (2) झारखण्ड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस	अलीगढ़ जंक्शन	19:48	19:50	हरिद्वार स्टेशन से 12.03.2026	13.03.2026
12371 धनबाद मिशन (2)- हरिद्वार झारखण्ड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस		22:03	22:05	धनबाद मिशन (2) स्टेशन से 13.03.2026	13.03.2026

नोट: ट्रेनों की समय-सारणी में समाविष्ट उपरवर्ती रेलवे विभागों का उक्त का Railwaybel Mobile App या वेबसाइट railwaybel.indianrailways.gov.in पर देखें।

उत्तर मध्य रेलवे — North Central Railway — www.ncr.indianrailways.gov.in — 1059/26 (C)

उत्तर मध्य रेलवे

L.NO. BINDA/AE/Auction/2026 — दिनांक-11.03.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खुरहण्ड, बींदा, चौरन जंक्शन, हमीरपुर, बाटेश्वर, चित्रकूटधाम कर्वी, रानीपुर, ताखड़ी एवं भरवा सुमेरपुर स्टेशनों पर स्थित परिसरगत रेलवे संरक्षाओं के विस्तार की निलामी दिनांक 25.03.2026 को समय 12:00 बजे सहायक मण्डल अभियन्ता, बींदा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नीलामी की विस्तृत शर्तें सहायक मण्डल अभियन्ता, बींदा कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हैं।

सहायक मण्डल अभियन्ता बींदा

S12/26 (D)

North central railway — CPRO/NCR — www.ncr.indianrailways.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, सोमन सिंह जैन राजकीय आईटीआई एवं शोध संस्थान अयोध्या

जिला विकास भवन, फतेहगंज, अयोध्या, जिला-अयोध्या-224201 (उत्तरप्रदेश)

ई-मेल - principal.grcjaisingh@gmail.com http://www.rajjaisingh.net.in

मोबाइल नं - 9415410754, फोन नम्बर-0522-2325537

Letter No-1001/G.I.T.I.Ayodhya — Dt- 13.03.26

-वॉक-इन-इंटरव्यू-

सोमन सिंह जैन राजकीय आईटीआई एवं शोध संस्थान अयोध्या के विभिन्न ट्रेड तथा कार्यालय विभाग में 'प्रशिक्षक ट्रेनीज एवं जूनियर ट्रेनीज / इंस्ट्रक्टर' के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 01 वर्ष के लिये 'वॉक-इन-इंटरव्यू' का आयोजन किया जा रहा है, जिसे अभिलाषी 03 वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण पर संपर्क हेतु तथा 'वॉक-इन-इंटरव्यू' दिनांक 16 मार्च, 2026 (सोमवार) को प्रातः 10:00 बजे से प्रातः कार्यालय में साक्षात्कार, प्रमाण, सोमन सिंह जैन राजकीय आईटीआई एवं शोध संस्थान अयोध्या, जिला विकास भवन, फतेहगंज, अयोध्या, जिला-अयोध्या, उत्तरप्रदेश-224201 में आयोजित किया जायेगा।

विवरण विवरण:-

- प्रशिक्षक ट्रेनीज - रु. 40,350/- प्रतिमाह
- जूनियर ट्रेनीज - रु. 36,600/- प्रतिमाह
- 1. शैक्षिक योग्यता एवं अनु - स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर
- 2. आयाम - उपरोक्त पदों के विवरणानुसार

उक्त साक्षात्कार तिथि पदों के भरे जाने तक आयोजित किया जायेगा।

प्राचार्य, आई.टी.आई. राज. आयुर्वि. एवं शो. संस्थान (अयोध्या)

कानपुर विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

"उत्तरप्रदेश नगरविकास को सूचित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र सुरेन्द्र पुत्र स्व० श्री उमाकान्त सुरेन्द्र द्वारा मुकामा संख्या-24 (ग्रेर्ड-बी) बाजा-बी, सेक्टर- 7, गुरुदेव, कानपुर नगर पर कार्यरत फर्मेस्ट फ्रान्ट-सेल्सीज/सीएमी/23-24/ 8863 के द्वारा आवंटित भाग की भौतिकी जांच की गयी थी, भौतिकी में बिना आज्ञा पर व्यावसायिक भाग का निर्माण किया गया है जिसके संबंध में उन्हें नोटिस हेतु माननीय प्रशासक द्वारा पत्र दिनांक 31.01.2026 (संलग्नित है)। आवंटक के उक्त निर्माण का व्यावसायिक भाग की सम्पत्ति की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु जमा में आवेदित एवं मुकाम अनामित किये जाने हैं। अगर उपरोक्त में प्रभावित एवं अन्य भौतिक भवन निर्माण एवं विकास प्राधिकरण तथा भौतिक प्रोविजन रेगुलेशन 2025 के प्रावधान 10.1.2 (ई) के अनुसार व्यावसायिक भाग अनुमोदित के आधार पर परिमार्जित भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमाना में आवेदित/मुकाम आवंटित करने के उपरान्त ही जायेगी। माननीय मंत्रीमंडल के पूर्व प्रस्तिकरों के अनुसार 15 दिवस की समयावधि अन्य सामान्य के आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति/संस्था की आपत्ति/सुझाव प्रेषित की जाती है तो उसकी उपरोक्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

माननीय मंत्रीमंडल के पूर्व प्रस्तिकरों के अनुसार 15 दिवस की समयावधि अन्य सामान्य के आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति/संस्था की आपत्ति/सुझाव प्रेषित की जाती है तो उसकी उपरोक्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय, जिला पंचायत, फतेहपुर

विज्ञप्ति

क्रम सं0	विज्ञप्ति की संख्या	विज्ञप्ति दिनांक	विज्ञप्ति (अंग्रेजी) दिनांक	कुल अभिलाषी के नाम संख्या (सं)
1	2	3	4	5
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

अध्यक्ष, जिला पंचायत, फतेहपुर